तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
28/4/17	PO सा... /दौरे पर [illegible] पधारे है ... को पेश हो। 18/7/17
	[illegible] / [illegible] /दौरे पर बाहर [illegible] / [illegible] को पेश हो।
23/5/17 रामदेव जमनालाल रामकिशन	पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत गुराई के अटल सेवा केन्द्र मे पेश हुई। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे प्रकार है कि वादीगण ने दिनांक 27.06.1980 को प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 के पिता जमना पुत्र घासी नाई नि. गुराई तहसील डिग्गी हाल तहसील दूनी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी साबिक ख० नं. 460/1 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा भूमि जो कि ग्राम गुराई मे स्थित है मे से 2 बीघा भूमि को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की थी और उक्त भूमि के क्रय का पंजीयन प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 के पिता जमना ने वादीगण के पक्ष मे दिनांक 27.06.1980 को सब रजिस्ट्रार तहसीलदार डिग्गी के यहां करवाया था और कब्जा वादीगण को मौके पर संभला दिया था तभी से वादीगण उक्त भूमि पर काबिज काश्त है हाल ही मे हुए सेटलमेन्ट मे आराजी ख० नं. 460/1 रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा के नये हाल ख० नं. 802

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
रकबा 1.80 हे. चाके ग्राम अराई बना दिया गया और प्रतिवादीगण 1 ता 5 के पिता जमना पुत्र धाली नाई की मृत्यु हो चुकी है और उक्त भूमि का नामान्तरण प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 के पक्ष में खोलकर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर दिया गया है। वादीगण अनपढ़ काश्तकार व्यक्ति थे जिन्होंने रजिस्ट्री की ली जमीन अपने नाम होना समझकर उक्त क्रयशुदा आराजी 2 बीघा भूमि का नामान्तरण अपने नाम नहीं खुलवाया और ना ही राजस्व कर्मचारियों ने हाल ख.नं. 802 रकबा 1.80 हे. भूमि में से वादीगण का कब्जा-काश्त होने के बावजूद भी वादीगण के पक्ष में नामान्तरण तस्दीक नहीं किया। प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 ने उक्त आराजी भूमि ख.नं. 802 रकबा 1.80 हे. भूमि में से रकबा 1.30 हे. भूमि दिनांक 18.07.2006 को प्रतिवादीगण नं. 6 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र [illegible] और प्रतिवादी नं. 6 ने अपने हिस्से की 4/5 भूमि में से 4/170 हिस्सा भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादीगण 7 को बेचान कर दी और शेष हिस्से 19/34 को दिनांक 20.07.2009 को प्रतिवादी नं. 8 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.07.09 को बेचान कर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	डी। प्रतिवादी 1 ता 5 ने 1.80 हे. भूमि में से वादीगण की 0.50 हे भूमि को छोड़कर शेष भूमि को बेचान कर चुके हो और अभी यह भूमि 0.50 हे प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए उक्त 0.50 हे. भूमि को बेचने पर आमादा है। तथा प्रतिवादीगण 6 ता 8 नं. 6 ता 8 वादीगण के कब्जे काश्त, उपयोग-उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे हो अतः उक्त भूमि 0.50 हे भूमि में से प्रतिवादीगण 1 ता 5 का नाम डिलीट किया जाकर प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 के पिता जमना पुत्र बाली नाई द्वारा निष्पादित किये गये विक्रय पत्र दिनांक 27.6.1980 के अनुसार वादीगण को ख०नं. 802 रकबा 1.80 हे भूमि में से 0.50 हे भूमि को वादीगण के नाम उदघोषणा खातेदारी कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा 1 ता 8 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे उक्त भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे उपयोग-उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा उक्त भूमि ख. नं. 802 रकबा 0.50 हे को किसी भी व्यक्ति को रहन, दान, बेचान, बख्शिश का पंजीयन न करे और ना ही कराये

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किये गये प्रतिवादी संख्या 6 से 8 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी गयी प्रति. संख्या 1 भैरूलाल पुत्र जमना नाई को पटवारी हल्का मार्फत नोटिस तामील कराया गया। लोक अदालत में वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 7 व 8 उपस्थित हुए तथा लोक अदालत की भावना से दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पक्षकारों को सुना गया तथा लोक अदालत मे मजमेआम मे दावे मे अंकित तथ्यों की जाँच की गई तथा मौके पर उपस्थित पक्ष(?) लोगों की नवीनतम रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार रूपी(?), भू.अ.नि.नगर फोर्ट व पटवारी हल्का गुराई के पचा दिनांक 23/5/17 के अनुसार पचावली मे शामिल विक्रय पत्र दिनांक 30/6/80 के अनुसार जमना पुत्र धाली नाई द्वारा ख०नं० 460 रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा में से 1/8 हिस्सा रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा रामदेव पुत्र भूरा बैरवा व जमना पुत्र रामनाथ बैरवा सा० गुराई वादीगणों को विक्रय किया गया। उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र का राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद नही होने के कारण विक्रेता की मृत्यु हो जाने पर विरासत से उक्त विक्रेता के वारिसों प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज हो गई मौके पर वादीगण का कब्जा हो सकता(?) वादपत्र मे अंकित राशि के मुताबिक विक्रय पत्र वादीगण के नाम डिक्र(?)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नोट अहलकार की तारीख
	जाना चाहिये है। तहसीलदार दुनी से प्राप्त तलब पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। मिलान [illegible] खेवट 2046-65 के अनुसार मोताबिक ख. नं. 460/1 रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा के नवीन ख. नं. 8.2 रकबा 1.80 हे० है। नया राजस्व ग्राम बनने से उक्त भूमि के स्थल ख० नं. 139 रकबा 0.50 हे० दर्ज रिकॉर्ड है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार दुनी के तलब दिनांक 22/6/17 तलब रिपोर्ट दिनांक 15.6.18 से होती है। मजमेकम में ली गई जानकारी के मुताबिक भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त है। पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 30/8/80 के अनुसार वादीगण ख. नं. 460/1 रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा के 1/8 हिस्से के क्रेता है अतः वादीगण को मूल ख. नं. 460/1 रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा के 1/8 हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार दुनी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड ख. नं. 139 में तदनुसार विक्रय पत्र का अमल दरामद करे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से भी पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की क्रय शुदा भूमि के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करे तदनुसार डिक्री बनाई जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल-शुमार होकर नम्बर से कम हो। शामिल दफ्तर हो। [illegible] अधिकारी दूनी	